निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 1/2024
दायरा दिनांकः–21.05.2024
निर्णय दिनांकः– 24.12.24

उनवान

1. द्वारकीलाल आयु 46 वर्ष पुत्र नारायण
2. बबलु आयु 31 वर्ष पुत्र नारायण
3. बाबूलाल आयु 44 वर्ष पुत्र नारायण
4. मनोज आयु 28 वर्ष पुत्र नारायण
5. राजेश बाई आयु 45 वर्ष पुत्री नारायण
6. मंजु बाई आयु 43 वर्ष पुत्री नारायण जाति चमार निवासीगण ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान
2. ग्राम पंचायत निपानिया तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2273 दिनांक 26.02.2024
ग्राम पंचायत निपानिया तहसील छबडा

निर्णय दिनांकः– 24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश लोधा– प्रार्थी

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2273 दिनांक़ 26.02.2024 ग्राम पंचायत निपानिया तहसील छबडा अपीलान्ट्स की दादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 156 की खसरा नंबर 204 रकबा 1.1381 है0, खसरा नंबर 217 रकबा 0.6828 है० कुल किता दो रकबा 1.8209 है० एवं खाता संख्या 573 की खसरा नंबर 350/1 रकबा 0.0253 है०, खसरा नंबर 7 रकबा 0.8852 है० कुल किता दो रकबा 0.9105 है० भूमि वाके माल निपानिया तहसील छबड़ा में स्थित है। जिसमें अपीलान्ट्स की दादी मृतक कासी पुत्री केश्या का हिस्सा 1/4 जमाबंदी था। अपील की मद नंबर 1 में वर्णित आराजियात में अपीलान्ट्स का दिनांक 26.02.2024 को मुताबिक नामांतरण संख्या 2273 तस्दीक करते समय निपानिया राजस्व कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार काशी पुत्री केश्या के स्थान पर मृतक पुत्र नारायण के पुत्र द्वारकीलाल, बाबूलाल, बबलू, पुत्रियां राजेशबाई, मंजूबाई पिसरान नारायण, गीताबाई पत्नी नारायण एवं दाखुदेवी, बदामबाई पुत्रियां काशी दर्ज होना चाहिए था। परंतु सहवन से वारिसान छोड़ते हुए नामांतरण खुलते वक्त मृतक काशी पुत्री केश्या के स्थान पर मृतक पुत्र नारायण के पुत्र द्वारकीलाल, बबलू, बाबूलाल, मनोज, राजेशबाई पिसरान धुलीलाल गलत दर्ज हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मृतक काशी पुत्री केश्या के वैध वारिसान मृतक पुत्र नारायण है। पुत्रियां दाखूबाई ामबाई है। मृतक नारायण के वैध वारिसान द्वारकीलाल, बाबूलाल, बबलू, मनोज, ाजेशबाई, मंजूबाई पिसरान नारायण एवं गीताबाई पत्नी नारायण आदि वैध वारिसान है। जो उक्त भूमि में खातेदारी में दर्ज करवाने व तदानुसार उक्त आराजी की जमाबंदी में नाम करवाने का अधिकारी है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण संख्या 2273 ग्राम निपानिया नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 156 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 573 मृत्यु प्रमाण पत्र कशीबाई, मृत्यु प्रमाण पत्र नारायण, वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत निपानिया आधार कार्ड द्वारकीलाल, आधार कार्ड बबलु आधार कार्ड बाबूलाल आधार कार्ड, मनोज कुमार जन आधार कार्ड राजेश बाई। आधार कार्ड मंजुबाई आधार कार्ड दाखुदेवी आधार कार्ड बादाम पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट की दादी के खातेदारी एवं कब्जे कश्त की भूमि ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित थी जिसमें अपीलान्ट की दादी मृतक कासी पुत्री केश्या का हिस्सा 1/4 था। मृतक काशी का फोती नामान्तरण खोलतें समय मृतक पुत्र नारायण के पुत्र द्वारकीलाल, बाबूलाल बबलु, पुत्रिया राजेश बाई मंजुबाई आत्मज नारायण, गीता बाई पत्नि नारायण एवं दाखुदेवी बदाम बाई पुत्रिया काशी दर्ज होना चाहिये था परन्तु सहवन से नारायण के पुत्र द्वारकीलाल बबलु बाबूलाल मनोज, राजेशबाई पिसरान धुलीलाल दर्ज हो गया है जबकि मृतक काशी पुत्री केश्या के वैध वारिसान को छोडतें हुए नातान्तरण तस्दीक किया गया। मृतक नारायण के वारिसान के पिता का नाम धुलीलाल दर्ज कर दिया गया। अपली अपीलान्ट स्वीकार कर मृतक काशी पुत्री केश्या व मृतक नारायण के वैध वारिसान के नाम नामान्तरण खोलने के आदेश फरमावें।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 2273 ग्राम निपानिया के अनुसार द्वारकीलाल बबलु बाबूलाल मनोज पुत्र राजेश पुत्री धुलीलाल के नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 156 में दुर्गालाल व धुलीलाल के वारिस का नाम दर्ज रिकार्ड है इसी नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 274–77 खाता संख्या 573 में भी दुर्गालाल व धुलीलाल के वारिस दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत निपानिया के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर काशी के पुत्र नारायण मृतक पुत्री दाखाबाई व बादाम बाई है मृतक नारायण के पत्नि गीता बाई पुत्र द्वारकीलाल बाबुलाल बबलु मनोज पुत्री राजेशबाई मंजीबाई अंकित है। नारायण के वारिसान के आधार कार्ड में भी पिता का नाम नारायण दर्ज है इससे यह साबित होता है कि फोती नामान्तरण खोलतें समय कुछ वारिस छोड दिये गयें तथा नि वारिसान के नाम नातान्तरण दर्ज किया उनके

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

का नाम धुलीलाल दर्ज कर दिया जबकि सही पिता नारायण है एवं काशी की दो ...या दाखाबाई व बादाम बाई है उनका नाम फोती नामान्तरण में दर्ज नही किया गया। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 2273 ग्राम निपानिया खारिज कर तहसीलदार छबडा को काशी वैध वारिसानों की जॉच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तरण संख्या 2273 दिनांक 26.02.2024 ग्राम निपानिया खारिज किया जाता है। तहसीलदार छबडा को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक काशी पुत्री केश्या के वैध वारिसानों की जॉच कर नामान्तरण दर्ज किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा